प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या- 40 /2024
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 11 ,2024

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि विगत में प्रदेश के कई जनपद / कमिश्नरेट में पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्तों के घायल व मृत होने की घटनायें घटित हुई है। पुलिस कार्यवाही में मृत अपराधियों के सम्बन्ध में पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (पी0यू0सी0एल0) द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 118/2018 तथा अन्य प्रकरणों में ही मा0 न्यायालय द्वारा कतिपय निर्देश निर्गत किये गये है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा समय – समय पर निर्धारित मानकों व अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में समुचित निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैः-

1. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांकः 01.08.2017 को डीजी परिपत्र संख्याः 22 निर्गत किया गया था, जिसमें पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकः 23.09.2014 के अनुसार पुलिस कार्यवाही में ही हुई मृत्यु व घोर उपहति के प्रकरणों में गहन, प्रभावी व स्वतंत्र अन्वेषण सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समस्त मानकों / अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये थे। समस्त जनपद पुलिस प्रभारियों द्वारा उक्त **डीजी परिपत्र संख्याः 22/2017 का गहन अध्ययन** करते हुए अपने समस्त अधीनस्थों की सम्यक ब्रीफिंग कर ली जाये, जिससे कहीं भी मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में कोई शिथिलता न होने पाये।
2. पुलिस कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में मृतक का पोस्टमार्टम दो डाक्टरों की संयुक्त टीम द्वारा कराया जाये साथ ही पोस्टमार्टम की कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी अवश्य करायी जाये।
3. जिन प्रकरणों में अपराधी की मृत्यु हुई हो ऐसे सभी मामलों में **विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम द्वारा घटनास्थल की फोटोग्राफ एवं घटना स्थल की पुनः संरचना** अवश्य करायी जाये और उसके सभी साक्ष्य विवेचना में शामिल किये जायें। घटनास्थल का सम्यक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराते हुए समुचित अभिलेखीकरण कराया जाए।
4. घटना स्थल के फोटोग्राफ की एक–एक प्रति अभिलेखीय रिकार्ड के रूप में सम्बंधित पत्रावली पर अलग से भी रखी जाये।
5. घटना के पश्चात मृतक के परिजनों को तत्काल उचित माध्यम से सूचित किया जाए। जिन प्रकरणों में मृतक के परिजन पंचायतनामा में साक्षी है उन प्रकरणों में मृतक के परिजनों को सूचित किये जाने का पर्याप्त प्रमाण समझा जायेगा। अगर किसी प्रकरण में मृतक के किसी परिजन को सम्बंधित थाने, ग्राम प्रधान अथवा चौकीदार के माध्यम से किसी प्रकार सूचना दी गयी है तो इसका समुचित अभिलेखीकरण करते हुए उसकी जीडी में प्रविष्टि अवश्य की जाये।

6. पुलिस कार्यवाही से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना कार्यवाही के थाने के बजाय अन्य इकाई (यथा–क्राइम ब्रान्च) या अन्य थाने से सम्पादित करायी जाये। पुलिस कार्यवाही में सम्मिलित रहे वरिष्ठतम अधिकारी से एक रैंक ऊपर के अधिकारी के पर्यवेक्षण में समस्त विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जाये।

7. पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में सम्मिलित पुलिस कर्मियों द्वारा उपयोग किये गये शस्त्रों को सरेण्डर करने के उपरान्त परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाये।

8. जिन मामलों में अपराधी सामान्य अथवा गम्भीर रूप से घायल होते हैं ऐसे सभी प्रकरणों में अपराधी के हेण्डवाश एवं अपराधी से बरामद शस्त्र का बैलस्टिकं परीक्षण अवश्य कराया जाये। जिन मामलों में बैलस्टिक रिपोर्ट अथवा हैण्डवाश परीक्षण रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है ऐसे प्रकरणों में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को विधि-विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर संयुक्त निदेशक से समन्वय स्थापित कर प्रकरण की गम्भीरता से उन्हें अवगत कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

9. सामान्य अथवा गम्भीर रूप से घायल जिन मामलों में अभी तक विवेचना प्रचलित है उनमें अपराधी के शस्त्र की बैलस्टिक परीक्षण रिपोर्ट सीडी में शामिल की जाये। जिन प्रकरणों में विवेचना पूर्ण की जा चुकी है ऐसे मामलों में भी अपराधी के शस्त्र की बैलस्टिक रिपोर्ट पूरक सीडी के माध्यम से मा0 न्यायालय प्रेषित की जाये।

10. जिन मामलों में पुलिसकर्मी अथवा अपराधी घायल होते हैं ऐसी सभी प्रकरणों में पुलिस एवं अपराधियों के दोनों की मेडीकल रिपोर्ट सीडी में अवश्य संलग्न की जाये।

11. पुलिस कार्यवाही के समस्त प्रकरणों में डीजी परिपत्र 22/2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाए। संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों की विवेचनात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए समस्त वांछित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करायी जाए।

12. पुलिस कार्यवाही में मृत अपराधियों से संबंधित पंजीकृत अभियोगों का सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर यथाशीघ्र विधिक निस्तारण कराया जाए। उक्त संबंध में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट की माननीय न्यायालय में नियमानुसार स्वीकृत कराया जाए।

13. उक्त प्रकरणों से संबंधित प्रचलित मजिस्ट्रीयल / न्यायिक जाँचों में समस्त वांछित अभिलेख समय से प्रस्तुत कराकर कार्यवाही तत्परतापूर्वक पूर्ण कराई जाए जिससे जाँचों का समयान्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

14. माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में लंबित प्रकरणों में समस्त वांछित अभिलेख / सूचना समय से प्रस्तुत कर यथोचित यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाए।

15. समस्त जनपद / कमिश्नरेट में पुलिस कार्यवाही से संबंधित समस्त प्रचलित कार्यवाही को नियमानुसार पूर्ण कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। नामित नोडल अधिकारी सभी प्रकरणों में डीजी परिपत्र, मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा समय – समय पर निर्धारित मानकों व अपेक्षाओं का अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। नोडल अधिकारी के कार्यों की जोन, परिक्षेत्र तथा कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाए।

16. इस पत्र के साथ 21 बिन्दु की एक **चैक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त चेकलिस्ट के सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही** का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परीक्षण कर लिया जाये। सभी बिन्दुओं पर समयान्तर्गत वांछित कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। मुख्यालय स्तर से निर्गत उक्त 21 बिन्दु की चैक लिस्ट को प्रकरण से संबंधित पत्रावली पर चस्पा रखा जाए। उसके अनुसार पत्रावली पर दायी ओर सम्बंधित अभिलेखों को उसी क्रम में रखा जायेगा साथ ही प्रत्येक अभिलेख पर चैकलिस्ट के क्रमांक का फ्लैग भी लगाया जाये। इस प्रकार तैयार की गयी इन सभी पत्रावलियों तथा अभिलेखों को स्थाई रूप से सुरक्षित रखा जायेगा, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित अभिलेखों की प्रतियां मुख्यालय /सम्बंधित न्यायालय को उपलब्ध करायी जा सके।

2– अतः आपसे अपेक्षित है कि पुलिस कार्यवाही से संबंधित समस्त प्रकरणों में मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा समय – समय पर निर्धारित मानकों व अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे कभी भी कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो सके।

भवदीय

(प्रशान्त कुमार)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध / मानवाधिकार / रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश।

मु0अ0सं0 ..... धारा ..... थाना ..... जनपद .....

नाम पता मृतक

क्र0सं0	दस्तावेज का विवरण		अभ्युक्ति
1.	अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति		
2.	कायमी मुकदमा की जीडी की प्रति एवं अभियुक्त के बारे में यदि कोई पूर्व सूचना जीडी में दर्ज की गयी हो तो उसकी प्रति		
3.	पंचायतनामा की प्रति		
4.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सम्बंधित अभिलेख	प्रोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति	
		पोस्टमार्टम की कार्यवाही की वीडियोग्राफो करायी गयी अथवा नहीं	
		यदि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई हो तो उसक सीडी की प्रति	
		पोस्टमार्टम पैनल अथवा सिंगल डाक्टर द्वारा किया गया.	
5.	इन्जरी रिपोर्ट	यदि अभियुक्त घायल है तो उसकी मेडीकल रिपोर्ट की प्रति	
		यदि कोई पुलिसकर्मी घायल है तो उसकी मेडीकल रिपोर्ट की प्रति	
6.	अभियुक्त का अपराधिक इतिहास		
7.	अभियुक्त पर घोषित इनाम के आदेश की प्रति		
8.	मृतक के परिजनों को सूचना का प्रमाण (GD/CDR/चौकीदार द्वारा सूचना दिये जाने का प्रमाण)		
9.	मानवाधिकार ओयोग को दी गयी सूचना के पत्र की छायाप्रति		
10.	मानवाधिकार आयोग की जांच के संबंध में	मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया अथवा नहीं	
		मानवाधिकार आयोग की जांच पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण है	
		यदि जांच पूर्ण की गयी तो उस जांच के परिणाम की प्रति	
11.	मृतक के हेण्डवाश की स्थिति	हेण्डवाश लिए गये अथवा नहीं लिए गये	
		यदि हेण्डवाश का परिणाम पोजीटिव है अथवा नेगेटिव है	
12.	अभियुक्त के शस्त्र की बैलस्टिक रिपोर्ट	शस्त्र /कारतूस को परीक्षण हेतु भेजा गया अथवा नहीं	
		परिणाम पोजीटिव है अथवा नेग्रेटिव है	
13.	विवेचना अन्य थाने या इकाई से कराये जाने की स्थिति	उसी थाना से विवेचना करायी गयी अथवा अन्य थाना/इकाई से	
		अन्य धाना/इकाई का नाम	
14.	विवेचना का पर्यवेक्षण विवेचक से एक रैंक ऊपर के अधिकारी द्वारा किया गया अथवा नहीं		
15.	विवेचना के परिणाम के संदर्भ में आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट की संख्या एवं उसकी प्रति		
16.	अंतिम रिपोर्ट स्वीकृति की स्थिति	न्यायालय में लम्बित	
		न्यायालय द्वारा स्वीकृत	
		यदि स्वीकृत हो चुकी है तो स्वीकृति आदेश की प्रति	
		यदि आरोप पत्र प्रेषित किया गया तो उसके विचारण की स्थिति	
17.	मजिस्ट्रेट जांच की स्थिति	लम्बित/पूर्ण	
		जांच की प्रति	
18.	घटनास्थल/शव के फोटोग्राफ	यदि घटना स्थल्न के फोटोग्राफ लिए गये तो उनकी प्रति	
		यदि मृतक के फोटोग्राफ लिए गये तो उसकी प्रति	
19.	पुलिस के शस्त्र की बैलस्टिक रिपोर्ट	शस्त्र परीक्षण हेतु भेजा गया अथवा नहीं	
		परीक्षण रिपोर्ट पोजीटिव है अथवा नेगेटिव है	
20.	जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में मृतक के परिवारिक सदस्यों द्वारा यदि कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो उसका विवरण एवं उसकी वर्तमान स्थिति		
21.	प्रकरण से समबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना हो सुसंगत हो		
22.	नोडल अधिकारी को नाम/पद/मो0नं0		

नोट- उक्त वर्णित सभी दस्तावेज/अभिलेख केस डायरी के साथ-साथ सम्बंधित पत्रावली पर भी उपलब्ध रहेंगे।